मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 28 फरवरी, 2018 के मद संख्या 2018/1.13 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के सेवा सुरक्षा शिकायतों संबंधी रक्षापायों के अनुश्रवण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :—

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति से एक प्रोफेसर	अध्यक्ष
2.	विश्वविद्यालय ग्रीवान्स सेल का अध्यक्ष	सदस्य
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति के दो शिक्षक/शैक्षणिक कर्मचारी/अधिकारी	सदस्य
4.	अन्य जाति का एक शिक्षक	सदस्य
5.	अन्य जाति का एक गैर शैक्षणिक कर्मचारी/अधिकारी	सदस्य
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति के 3 विद्यार्थी (स्नातक व स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. एवं महिला स्तर से एक–एक विद्यार्थी) (केवल विद्यार्थियों से संबंधित मामलों पर विचार के लिए)	सदस्य
7.	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक वाहय सदस्य	सदस्य
8.	कुलसचिव	संयोजक

उक्त प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों/अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से संबंधित सभी मामलों तथा उनकी शिकायतों का निस्तारण करेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के मुख्यतः निम्न कार्य होंगे :—

1. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित सभी मामले।
2. राज्य सरकार एवं भारत सरकार के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में लागू अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण से संबंधित सभी मामले।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की शिकायतों को लिखित रूप से दर्ज कराया जाना व उनका निस्तारण।
4. विश्वविद्यालय तथा विभाग स्तर पर समिति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन।

विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एवं विद्यार्थी अपनी शिकायतें निस्तारण हेतु उक्त के पास लिखित रूप में दर्ज कर सकते हैं। पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या/मा.प्रौ.वि./कुस.का./28/2018 दिनांक 22 जनवरी, 2018 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0
कुलपति

पृ.सं./मा.प्रौ.वि./कुस.का./148/2018 दिनांक : 12 अप्रैल , 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वैय0 सहा0 कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्राक्टर/वित्त नियंत्रक/यूनिट के समस्त प्रभारीगण/ समस्त छात्रावास अधीक्षक/समस्त अनुभागीय अधिकारी आदि।
3. वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

11/4/18

कुलसचिव